



छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR
(पूर्ववर्ती कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर)
(Formerly Kanpur University, Kanpur)
Kalyanpur, Kanpur-208024
कल्यानपुर, कानपुर-208024

परीक्षा समिति की 14वीं बैठक (आपात) दिन गुरुवार, दिनांक: 22.06.2023
कार्यवृत्त

आज दिनांक 22.06.2023, दिन गुरुवार को अपराह्न 04:30 बजे सेण्टर फॉर एकेडमिक्स भवन स्थित कार्यपरिषद कक्ष में परीक्षा समिति की बैठक सम्पन्न हुई, बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित रहे :—

| क्र.सं. | नाम | पद |
|---------|---|----------------------|
| 1. | प्रो० विनय कुमार पाठक, कुलपति, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर। | अध्यक्ष |
| 2. | प्रो० सुधीर कुमार अवस्थी, आचार्य/प्रति कुलपति, जीवन विज्ञान विभाग, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर। | सदस्य |
| 3. | प्रो० संदीप कुमार सिंह, आचार्य, प्रौढ़ एवं सतत् शिक्षा, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर। | सदस्य |
| 4. | प्रो० एस०के० श्रीवास्तव, डीन साइंस, डी०ए०वी० कालेज, कानपुर। | सदस्य |
| 5. | प्रो० नन्दलाल यादव, आचार्य, जीवन विज्ञान विभाग, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर। | सदस्य |
| 6. | प्रो. वर्षा गुप्ता, आचार्य, जीवन विज्ञान विभाग, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर। | सदस्य |
| 7. | प्रो. वी०के० कटियार, प्राचार्य, ब्रह्मावर्त डिग्री कॉलेज, मंधना, कानपुर। | सदस्य |
| 8. | प्रो० नीरज कुमार सिंह, आचार्य, आई०बी०एम०, विभाग, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर। | सदस्य |
| 9. | डा० एम०एच० सिद्धीकी, प्राचार्य, हलीम मुस्लिम कालेज, कानपुर। | सदस्य |
| 10. | डॉ० बी०डी० पाण्डेय, अध्यक्ष, कानपुर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन। | सदस्य |
| 11. | डॉ० अवधेश सिंह, महामंत्री, कानपुर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन। | सदस्य |
| 12. | डॉ० अनिल कुमार यादव, कुलसचिव, सी.एस.जे.एम. वि.वि., कानपुर। | कुलसचिव |
| 13. | प्रो० सुधान्शु पाण्डिया, परीक्षा नियंत्रक, सी.एस.जे.एम. वि.वि., कानपुर। | पदेनसचिव |
| 14. | डॉ० रिपुदमन सिंह, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, कानपुर | विशेष आमंत्रित सदस्य |
| 15. | डॉ. आर.के. द्विवेदी, निदेशक, सी.डी.सी.सी.एस.जे.एम. वि.वि., कानपुर। | विशेष आमंत्रित सदस्य |
| 16. | श्री अशोक कुमार त्रिपाठी, वित्त अधिकारी, सी.एस.जे.एम. वि.वि., कानपुर। | विशेष आमंत्रित सदस्य |
| 17. | प्रो०(श्रीमती) रोली शर्मा, आचार्य, जीवन विज्ञान विभाग, सी.एस.जे.एम. वि.वि., कानपुर। | विशेष आमंत्रित सदस्य |
| 18. | डॉ० सरोज कुमार द्विवेदी, सिस्टम मैनेजर, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर। | विशेष आमंत्रित सदस्य |

सचिव द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति से परीक्षा समिति की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। सम्यक विचारोपरान्त परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति से निम्नांकित निर्णय लिए गये—



मद संख्या 2023.14.01

याचिका संख्या 12961/2019 रामजीवन बनाम कुलसचिव, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर में मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.04.2022 के अनुपालन में याची रामजीवन को सत्र 2016–17 बी०ए० प्रथम वर्ष की संशोधित अंकतालिका उपलब्ध कराये जाने पर विचार।

निर्णय—

याचिका संख्या 12961/2019 रामजीवन बनाम कुलसचिव, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर में मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.04.2022 के अनुपालन में याची रामजीवन को सत्र 2016–17 बी०ए० प्रथम वर्ष की संशोधित अंकतालिका उपलब्ध कराये जाने के प्रकरण पर परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति से विचारोपरान्त डॉ. सरोज कुमार द्विवेदी, सिस्टम मैनेज़र, श्री अजय कुमार गौतम, उप-कुलसचिव (परीक्षा) एवं श्री सत्य प्रिय सामंत, सहायक कुलसचिव (परीक्षा) की त्रिसदस्यीय समिति गठित किये जाने एवं त्रिसदस्यीय समिति से विस्तृत जॉचोपरान्त प्राप्त आख्या पर माननीय कुलपति जो को निर्णय लिये जाने हेतु अधिकृत किया गया।

कार्यवाही-परीक्षा नियंत्रक कार्यालय

माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य मद

मद संख्या 2023.14.01 अ.म..

एन०ई०पी० के अन्तर्गत सत्र 2022–23 की विषम सेमेस्टर की परीक्षाओं के दौरान अशोक महाविद्यालय उन्नाव (UN29) को यू०एफ०एम० समिति द्वारा सामूहिक नकल में दोषसिद्ध होने की पुष्टि की गयी। फलस्वरूप इस महाविद्यालय को तीन वर्ष के लिये परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने तथा वहाँ पर आयोजित दिनांक 25.01.2023, 28.01.2023, 31.01.2023 एवं 13.02.2023 की परीक्षायें निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय परीक्षा समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय—

एन०ई०पी० के अन्तर्गत सत्र 2022–23 की विषम सेमेस्टर की परीक्षाओं के दौरान अशोक महाविद्यालय उन्नाव (UN29) को यू०एफ०एम० समिति द्वारा सामूहिक नकल में दोषसिद्ध होने की पुष्टि की गयी है। परीक्षा समिति द्वारा प्रकरण पर विचार किया गया तथा सर्वसम्मति से अशोक महाविद्यालय उन्नाव (UN29) को एक वर्ष के लिये परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने के साथ ही ₹ 50,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित करने का निर्णय लिया गया।

इसके अतिरिक्त ऐसे अन्य प्रकरणों पर निर्णय लिये जाने हेतु कुलपति को अधिकृत किया गया।

कार्यवाही-परीक्षा नियंत्रक कार्यालय

मद संख्या 2023.14.02 अ.म..

छात्रा सुनीता देवी द्वारा सत्र 2020–21 में बी0एड0 द्वितीय वर्ष (अनुक्रमांक 0415046) में दिये गये बैक पेपर के प्राप्तांक के आधार पर सत्र 2019–20 (कोरोना काल) में बी0एड0 प्रथम वर्ष का अंक पत्र अपडेट किये जाने हेतु दिये गये प्रत्यावेदन पर विचार।

निर्णय—

बी0एड0 पाठ्यक्रम की छात्रा सुनीता देवी (अनुक्रमांक 0415046) के प्रार्थना पत्र पर परीक्षा समिति द्वारा सम्बन्धित अभिलेखों का अवलोकन किया गया। छात्रा सुनीता देवी को सत्र 2019–20 में बी0एड0 प्रथम वर्ष (अनुक्रमांक 0415046) को कोविड-19 के कारण इस शर्त के साथ प्रोन्नत किया गया था कि उसके बी0एड0 द्वितीय वर्ष में प्राप्त अंकों आधार पर प्रथम वर्ष में अंक प्रदान करते हुये परीक्षाफल पूर्ण किया जायेगा। छात्रा सुनीता देवी सत्र 2020–21 में बी0एड0 द्वितीय वर्ष (अनुक्रमांक 0415046) में अनुत्तीर्ण हो गयीं। फलस्वरूप वह बी0एड0 प्रथम वर्ष में भी अनुत्तीर्ण हो गयीं। छात्रा सुनीता देवी द्वारा द्वितीय वर्ष में एक विषय में बैक पेपर दिया गया जिसके आधार पर उनके द्वारा प्रथम वर्ष के अंकों को अपडेट किये जाने की याचना किया गयी। समिति की राय में छात्रा को कोरोना काल का लाभ बार-बार नहीं दिया जा सकता है तथा उसके द्वारा बी0एड0 प्रथम वर्ष के सम्बन्धित विषय/प्रश्नपत्र के बैकपेपर में भी सम्मिलित होना चाहिए था।

अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से छात्रा सुनीता देवी को बी0एड0 द्वितीय वर्ष में दिये गये बैक पेपर के आधार पर प्रथम वर्ष का अंक अपडेट किये जाने का अनुरोध अस्वीकार किया जाता है।

कार्यवाही-परीक्षा नियंत्रक कार्यालय

मद संख्या 2023.14.03 अ.म..

छात्र जयन्त प्रताप सिंह द्वारा अपने बी0एस-सी0 (Human Nutrition) द्वितीय वर्ष सत्र 2013–14 के परीक्षा परिणाम के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर विचार।

निर्णय—

समिति द्वारा छात्र जयन्त प्रताप सिंह के बी0एस-सी0 (Human Nutrition) की अंकतालिकाओं का अवलोकन किया गया। छात्र के बी0एस-सी0 (एच.एन.) द्वितीय वर्ष सत्र 2013–14 की अंकतालिका के अनुसार वह तीन विषयों में क्रमशः 1-Food Microbiology, 2-Food Science एवं 3-Personnel Management में अनुत्तीर्ण था। छात्र द्वारा मात्र एक विषय “Food Microbiology” में पूरक परीक्षा दी गयी जबकि उसे तीनों विषयों में पूरक परीक्षा देनी चाहिए थी।

अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से छात्र जयन्त प्रताप सिंह का प्रत्यावेदन निरस्त किया जाता है।

कार्यवाही-परीक्षा नियंत्रक कार्यालय



मद संख्या 2023.14.04 अ.म..

एन०ई०पी० के अन्तर्गत विश्वविद्यालय की सत्र 2022–23 की सम सेमेस्टर एवं पूर्व से संचालित सेमेस्टर पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं हेतु निर्धारित नोडल केन्द्र/परीक्षा केन्द्र के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय—

एन०ई०पी० के अन्तर्गत विश्वविद्यालय की सत्र 2022–23 की सम सेमेस्टर एवं पूर्व से संचालित सेमेस्टर पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं हेतु निर्धारित नोडल केन्द्र/परीक्षा केन्द्र की प्रस्तुत सूची का परीक्षा समिति द्वारा विचारोपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया। आवश्यकतानुसार किसी भी परिवर्तन के लिए समिति द्वारा कुलपति को अधिकृत किया गया।

कार्यवाही—परीक्षा नियंत्रक कार्यालय

मद संख्या 2023.14.05 अ.म..

परीक्षा समिति की बैठक के दौरान माननीय सदस्य प्रो० वी०के० कटियार द्वारा परीक्षा कराये जाने के सम्बन्ध में परीक्षा—मैनुअल तैयार कराये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिस पर सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गयी तथा इस कार्य हेतु डॉ. राजेश कुमार द्विवेदी, निदेशक, महाविद्यालय विकास परिषद, डॉ० वी.के. कटियार, प्राचार्य, ब्रह्मावर्त डिग्री कॉलेज, मंधना, कानपुर एवं डॉ. सरोज कुमार द्विवेदी, सिस्टम मैनेज़र की त्रिसदस्यीय समिति गठित कर उक्त परीक्षा—मैनुअल तैयार कराये जाने का निर्णय लिया गया।

कार्यवाही—परीक्षा नियंत्रक कार्यालय

मद संख्या 2023.14.06 अ.म..

विश्वविद्यालय परिसर एवं महाविद्यालयों हेतु शैक्षणिक कलेण्डर तैयार कर विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर तथा समस्त महाविद्यालयों के प्राचार्यों के लॉगिन पर आपलोड कराये जाने हेतु परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

कार्यवाही—परीक्षा नियंत्रक कार्यालय

मद संख्या 2023.14.07 अ.म..

एन०ई०पी० के अन्तर्गत सम सेमेस्टर की परीक्षाओं को शुचिता पूर्वक सम्पन्न कराये जाने हेतु दिनांक 21.06.2023 को माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में समस्त राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों के प्राचार्यों के साथ हुयी बैठक में लिये गये निर्णय पर अनुमोदन प्रदान किये जाने पर विचार।

निर्णय—

एन०ई०पी० के अन्तर्गत सम सेमेस्टर की परीक्षाओं को शुचिता पूर्वक सम्पन्न कराये जाने हेतु दिनांक 21.06.2023 को माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में समस्त राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों के प्राचार्यों के साथ

बैठक हुयी, जिसमें अनुदानित/राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य को नोडल आफीसर बनाते हुये अपने क्षेत्र (लगभग 40 कि०मी०) की परिधि में आने वाले सभी स्ववित्तपोषित तथा अनुदानित कालेजों में नकल विहीन परीक्षा सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई। यह भी निश्चित किया गया है कि उक्त परिधि में आने वाले महाविद्यालय एक समूह से आच्छादित रहेंगे, जो वहाँ के अनुदानित/राजकीय प्राचार्य के अधीन होगा। इस कार्य योजना के सफल संचालन हेतु निम्नलिखित नियमों का अनुपालन किया जायेगा—

1. अनुदानित/राजकीय महाविद्यालय का प्राचार्य/वरिष्ठ प्रोफेसर एक समूह का नोडल अधिकारी नामित होगा। नोडल अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह अपने कार्यक्षेत्र में आने वाले समूह से उड़ाका दल का गठन करें, जिसमें नियमित शिक्षक/शिक्षिका को दल का संयोजक बनाया जायेगा। इस दल में संयोजक सहित 03 सदस्य होंगे, जिसमें स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों का एक ही शिक्षक समिलित होगा।
2. प्रत्येक कार्य दिवस में सभी पालियों को मिलाकर केवल 06 महाविद्यालयों का निरीक्षण किया जाना है।
3. प्रत्येक उड़ाका दल की कार्य सीमा 04 दिन होगी। परन्तु उड़ाका दल की कार्यविधि असंतोषजनक पाये जाने पर उड़ाका दल को समय से पूर्व ही समाप्त किया जा सकता है।
4. उड़ाका दल की कार्य अवधि में परिवर्तन का अंतिम अधिकार माननीय कुलपति जी द्वारा गठित समिति का होगा।
5. उड़ाका दल की रिपोर्ट नोडल अधिकारी के माध्यम से प्रतिदिन परीक्षा नियन्त्रक की ई-मेल coe@csjmu.ac.in पर प्रेषित करना अनिवार्य होगा।
6. पूर्व में दोषी पाये गये उड़ाका दल के सदस्यों को किसी भी दशा में समिलित नहीं किया जायेगा।
7. सदस्यों द्वारा एक वाहन का प्रयोग किया जायेगा, जिसका वाहन भृत्ता विश्वविद्यालय के नियमानुसार केवल संयोजक को देय होगा। नोडल अधिकारी तथा उड़ाका दल के सभी सदस्यों को विश्वविद्यालय नियमानुसार पारिश्रमिक देय होगा।
8. उड़ाका दल के विरुद्ध दोष सिद्ध होने पर विश्वविद्यालय को दल के सदस्यों तथा संयोजक पर उचित कार्यवाही करने का अधिकार रहेगा।

उक्त प्रस्तुत प्रस्ताव पर डॉ० अवधेश सिंह, सदस्य, परीक्षा समिति द्वारा विरोध जताया गया। शेष सदस्यों द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यवाही-परीक्षा नियंत्रक कार्यालय

अन्त में सचिव जी द्वारा समस्त माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक सम्पन्न हुई।


 (प्रो० सुधान्शु पाण्डेय)
 परीक्षा नियंत्रक/सचिव, परीक्षा
 समिति


 (प्रो० विनय कुमार पाठक)
 कुलपति/अध्यक्ष